



सत्यमेव जयते

सी.सं. 40(37)/निबन्धन/हरिद्वार/2006-07/तक. 53

दिनांक 10-2-07

भारत सरकार  
(वित्त मंत्रालय)

कार्यालय आयकर आयुक्त

13-ए, सुभाष रोड, देहरादून

सेवा में, परिवर्तन ग्रामीण समाज सेवा  
संस्था ग्राम-काण्डा पट्टी  
सितौन्सय (चौड़ी गढ़वाल)

**विषय : आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12-कक में निबन्धन हेतु।**

न्यास/संस्था का नाम एवं पता परिवर्तन ग्रामीण समाज सेवा संस्था  
ग्राम काण्डा पट्टी सितौन्सय (चौड़ी गढ़वाल)

दिनांक 21-09-1996 को न्यास/संस्था ज्ञापन द्वारा गठित उपर्युक्त न्यास/संस्था ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12-कक के अन्तर्गत निर्धारित फार्म में पंजीकरण हेतु आवेदन दिनांक 19-01-07 को प्रस्तुत किया है जो कि निर्धारित समय के भीतर/ 09 वर्ष 03 माह और 28 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया है। चूंकि न्यास/संस्था ने विलम्ब से पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करने का पर्याप्त कारण नहीं दिया है इसलिए विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता। परन्तु धारा 12-कक (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत निबन्धन दिनांक 1-4-2006 से स्वीकृत किया जाता है।

2. आवेदन की प्रविष्टि कार्यालय में रखे गये धारा 12-कक के आवेदन रजिस्टर में प्रपत्र संख्या 97/06-07 पर की गई है।

3. यह प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है। यदि निम्नलिखित तीनों शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन न्यास/संस्था के द्वारा किया जाता है तो यह प्रमाण पत्र रिटर्न दाखिल करने अथवा ऑडिटेड एकाउन्ट्स दाखिल करने की अन्तिम निर्धारित तिथि अथवा न्यास/संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन की तिथि से स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- न्यास/संस्था आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्येक वर्ष संबंधित अधिकारी के समक्ष आयकर रिटर्न दाखिल करें।
- न्यास/संस्था द्वारा कार्यालय में ऑडिटेड एकाउन्ट्स की प्रति प्रत्येक वर्ष रिटर्न दाखिल करने की अन्तिम निर्धारित तिथि से पहले प्रस्तुत करे।
- यदि न्यास/संस्था के उद्देश्यों में कभी परिवर्तन किया जाता है तो न्यास/संस्था को फिर से धारा 12क के अन्तर्गत आवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

सील



वाय.एस. रावत  
(वाय.एस. रावत)  
आयकर आयुक्त  
देहरादून

प्रतिलिपि प्रेषित

- न्यास/संस्था उपरोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- आयकर अधिकारी/सहायक आयकर आयुक्त/उपायुक्त आयकर/वार्ड/सर्किल 75587R हरिद्वार को यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त रेंज हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तरांचल को सूचनार्थ प्रेषित।

आयकर अधिकारी (तकनीकी)  
कृते आयकर आयुक्त, देहरादून